# HRA En UNUN The Gazette of India

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1339] No. 1339] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2012/आषाढ़ 27, 1934 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2012/ASADHA 27, 1934

दिल्ली विकास प्राधिकरण

( भूमि लागत निर्धारण शाखा )

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2012

विषय : शैक्षणिक संस्थानों /ट्रस्टों, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य समाज कल्याण सोसाइटियों आदि, जिन्हें आयकर से छूट मिली हुई है, के संबंध में अतिरिक्त एफ ए आर प्रभारों में छुट देना ।

का.आ. 1606(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957(1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 2432(अ), दिनांक 10-10-2008 और का.आ. 2955(अ), दिनांक 23-12 2008 में, शैक्षणिक सोसाइटियों/स्वास्थ्य देखभाल, समाज कल्याण सोसाइटियों आदि के लिए, जहाँ पर भूमि को बेचने/निपटान करने का तरीका अभी भी आवंटन ही है, सांस्थानिक प्लाटों 6(छ) हेतु अतिरिक्त एफ ए आर प्रभारों के लिए लागू की जाने वाली दरों के निर्धारण के सबंध में निम्नलिखित संशोधन करता है :

तदनुसार, दिनांक 10-10-2008 और 23-12-2008 की इन अधिसूचनाओं का पैरा 6(छ) निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा : -

क्रम सं.

1.

पद

मंत्रालय द्वारा अनुगोदित संशोधित दरें

सांस्थानिक प्लाटों 6 (छ) के लिए अतिरिक्त एफ ए आर प्रभार आयकर से छूट प्राप्त शैक्षणिक सोसाइटियों, स्वास्थ्य देखभाल और समाज कल्याण सोसाइटियों से कोई अतिरिक्त एफ ए आर प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा।

दिनांक 23-12-2008 की अधिसूचना की अन्य बातें अपरिवर्तित रहेंगी ।  $^{\prime}$ 

अतिरिक्त एफ ए आर प्रभारों में छूट भारत सरकार द्वारा भविष्य में संशोधन करने और अधिसूचना जारी होने तक लागू रहेगी ।

[फा. सं. एफ 2 (163) 07/ए ओ (पी)/पार्ट-11]

डी स्थकार, आयुक्त एवं सांचव

2627 GI/2012

#### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Lantl'Costing Wing)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2012

Subject: Exempting additional FAR charges in respect of Educational institutions/Trusts. Health-care and other social welfare societies etc. having exemption from Income-tax.

S.O. 1606(E).—In exercise of powers confound by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government hereby makes the following modification to Notification Sci. 2432(E), dated 10-10-2008 and S.O. 2955(E), dated 23-12-2008 published in the Gazette of India, Part-II, Section 1, Sub-section (ii) with regard to fixation of rates to be applied for additional FAR charges for Institutional plots. 6(g) for Educational Societies/Health-care, Social Welfare societies etc. where mode of disposal of land is still allotment.

Accordingly Para 6(g) of these notifications dated 10-10-2008 and 23-12-2008 shall be amended by the following:

Sì. No.	Item	Modified Rates approved by the Ministry				
1.	Additional FAR charges for Institutional plots. 6(g).	No additional FAR charges to be recovered from Educational societies/Health-care and Social welfare societies having Income Tax Exemption.				

The other contents of the notification dated 23-12-2008 will remain unchanged.

The exemption of additional FAR charges will remain in force till further modification and notification by the Government of India.

[F. No. F 2(163)07/AO(P)/Pt-II]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

REGD NO D 1 - 13004/99

# HRAGEN USIUN The Gazette of India

असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) :
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 1301| No. 1301| नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 11, 2012/आषाढ़ 20, 1934 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 11, 2012/ASADHA 20, 1934

### दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2012

विषय: विभिन्न मार्किटों (सरोजिनी नगर मार्किट, खान मार्किट और ग्रीन पार्क एक्सटेंशन आदि) के ऊपरी आवासीय तलों पर उपयोग परिवर्तन प्रभारों का निर्धारण।

का.आ. 1542(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए. दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतदद्वारा विभिन्न मार्किटों (सरोजिनी नगर मार्किट, खान मार्किट, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन आदि) के ऊपरी आवासीय तलों के उपयोग हेतु उपयोग परिवर्तन प्रभारों की हों को व्यावसायिक उपयोग के लिए अधिसूधित करता है, जो व्यावसायिक दर और आवासीय दर के बीच के अंतर के 100 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त दरें वसूल करने के आधार पर होंगी और एकमुश्त परिवर्तन प्रभार के रूप में होंगी। यह इस शर्त के आधार पर भी होंगी कि भवन मृक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल नक्शे में यथा अनुमोदित आकृति और ढांचे में रहेगा।

तद्नुसार निम्नलिखित मार्किटों के ऊपरी तलों पर उपयोग परिवर्तन प्रभारों की दर निम्नानुसार होंगी :

सरोजिनी नगर पार्किट,

(निर्मित क्षेत्र के प्रति वर्ग मीटर

खान मार्किट और ग्रीन

के लिए दरें रुपये में)

पार्क एक्सटेंशन आदि,

89094 सपये

ये दरें, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से भविष्य में संशोधित और अधिसुचित किए जाने तक लागू रहेंगी ।

> [फा. सं. एफ. 2(163)08/ए औ (पी)/पार्ट II] डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2012

Sub: — Fixation of Use Conversion Charges on upper residential floors of various markets (Sarojini Nagar Market, Khan Market and Green Park Extension etc.).

S.O. 1542(E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), the Delhi Development Authority with the prior approval of the Central Government hereby notifies the rates of Use Conversion Charges for use of upper residential floors of various markets (Sarojini Nagar Market, Khan Market, Green Park Extension etc.) to commercial use subject to charging additional rates @100% of difference between the commercial rate and the residential rate as one time conversion charges and further subject to the condition that the building shall remain in the shape and structure as was approved in the original plan sanctioned by the competent authority.

Accordingly the rate structure for Use Conversion Charges on upper floors of the following Market will be as under:

Sarojini Nagar Market, Khan Market and Green Park (Rates in ₹ per Sq m. built up area) ₹ 89094

Extension etc

These rates will remain in force till these are further modified and notified with the approval of the Central Government.

[F. No. F. 2 (163)/08/AO(P)/Pt-II] D. SARKAR, Commr.-cum-Secy.

2543 GU2012

.... CODI 3300100

# HRA En USUA The Gazette of India

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 1339] No. 1339] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2012/आषाढ़ 27, 1934 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2012/ASADHA 27, 1934

दिल्ली विकास प्राधिकरण

( भूपि स्नागत निर्धारण शाखा )

अधिसृचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2012

विषय : शैक्षणिक संस्थानों /ट्रस्टों, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य समाज कल्याण सोसाइटियों आदि, जिन्हें आयकर से छूट पिली हुई है, के संबंध में अतिरिक्त एफ ए आर प्रभारों में छूट देना ।

का.आ. 1606(अ).—दिल्ली विकास अधिनयम. 1957(1957 का 61) की धाग 57 द्वारा पदन शवितयां का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा धारत के राजपत्र, धाग-11, खण्ड ३, उप खण्ड (п) में प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 2432(अ), दिनांक 10-10-2008 और का.आ. 2955(अ), दिनांक 23-12-2008 में, श्रैक्षणिक सोसाइटियों/स्वास्थ्य देखभाल, समाज कल्याण सोसाइटियों आदि के लिए, जहाँ पर भूमि को चेचने/निएटान करने का तरीका अभी भी आवंटन ही है, सांस्थानिक प्लार्टी है(छ) हेत् अतिहित्त एफ ए आर प्रभारों के लिए लागू की जाने वाली दरों के निर्धारण के सबंध में निम्नालिखित संशोधन करता है :

तदनुसार, दिनांक 10-10-2008 और 23-12-2008 की इन अधिसूचनाओं का पैस 6(छ) निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :

क्रम सं

47

गंत्रालय द्वारा अनुगोदित गंगोपित दर्रे

सांस्थानिक प्लारों 6 (छ) के लिए अतिरिक्त एफ ए आर प्रभार आयकर से छूट पान्त शैक्षणिक सोसाइटियों, स्वास्थ्य देखभाल और समाज कल्याण सोसाइटियों से कोई अतिरिक्त एफ ए आर प्रशास् वसूल नहीं किया जाएगा।

दिनांक 23-12-2008 की अधिमुचना की अन्य बातें अपस्वितित महेंगी।

अतिरिक्त एफ ए आर प्रधारों में छूट धारत सरकार द्वारा धविष्य में संशोधन करने और अधिसुचना जारी होने तक लागू रहेगी । (फा. मं. एफ १ (163) 07/ए ओ (पी)/पार्ट-॥ [

हो गाकार आयुक्त एवं गांचन

173/C 168/c

#### THE CAZETTE OF INDIA TEXTRAORDINARY

elitarin singi

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Lant/CodingsWing)

# NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2012

Subject: Exempting additional FAR charges in respect of Educational institutions/Trusts. Health-care and other social welfare societies etc. having exemption from Income-tax.

S.O. 1606(E).—In exercise of powers confermed by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (Folcil of 1957), the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government hereby make the following modification to Notification S.O. 2432(E), dated 10-10-2008 and S.O. 2955(E), dated 23-12-2008 published the Gazette of India, Part-II, Section 1, Sub-saction (ii) with regard to fixation of rates to be applied for additionally charges for Institutional plots. 6(g) for Educational Societies/Health-care, Social Welfare societies etc. where mode of disposal of land is still allotment.

Accordingly Para 6(g) of these notifications dated 10-10-2008 and 23-12-2008 shall be amended by the following:

Sl. No.	Hem	Modified Rates approved by the Ministry
1.	Additional FAR charges for Institutional plots 6(g).	No additional FAR charges to be recovered from I ducational societies/Health-care and Social welfare societies having Income Tax Exemption.

The other contents of the notification dated 23-12-2008 will remain unchanged

The exemption of additional FAR charges will remain in force till further modification and notification by the Government of India.

[F No 1 2(163)07/A()(P)/Pt -II]

D SARKAR, Commissioner-cum-Secv

REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1898]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 21, 2012/भाद्र 30, 1934

No. 1898]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 21, 2012/BHADRA 30, 1934

दिल्ली विकास प्राधिकरण

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2012

विषय:-बैंक्वेट हॉल की अनुमित विनियम, 2010

का.आ. 2272(अ).— दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 57 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमित से एतद्द्वारा "बैंक्वेट हॉल की अनुमित विनियम, 2010" बनाता है।

## संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

- i) इन विनियमों को ''**बैंक्वेट हॉल की अनुमति विनियम, 2010''** कहा जाएगा ।
- ii) ये विनियम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित बैंक्वेट हॉल पर लागू होंगे और अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे ।
- iii) इन विनियमों में प्रयुक्त सभी शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जिनको परिभाषित नहीं किया गया है, उनका अभिप्राय वहीं होगा जो दिल्ली विकास अधिनियम—1957 अथवा उक्त अधिनियम के अंतर्गत तैयार एवं अनुमोदित मुख्य योजना या दिल्ली नगर निगम अधिनियम—1957 जैसा भी मामला हो, में हैं।
- iv) इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है, तो उसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा जिस पर केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

- 2. परिभाषाएँ इन विनियमों में, जब तक विषय अथवा संदर्भ में कुछ प्रतिकूल न हो:
- (i) 'अधिनियम' से अभिप्राय समय—समय पर संशोधित दिल्ली विकास अधिनियम,
- (ii ) 'प्राधिकरण' से अभिप्राय अधिनियम की धारा—3 के अंतर्गत गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण से है ।
- (iii) 'अध्यक्ष' से अभिप्राय प्राधिकरण के अध्यक्ष से है ।
- (iv) 'प्रभारों' से अभिप्राय बैंक्वेट हॉल हेतु भूमि एवं भवन के उपयोग की अनुमित के लिए देय प्रभारों से है ।
- (v) 'मुख्य योजना' से अभिप्राय अधिनियम के अंतर्गत तैयार एवं अनुमोदित दिल्ली मुख्य योजना से है, जो इस समय लागू है ।
- (vi) 'स्वामी' से अभिप्राय परिसरों के स्वामी/आबंटिती से है ।
- (vii) 'उपाध्यक्ष' से अभिप्राय प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से है ।
- (viii) 'बैंक्वेट हॉल' से अभिप्राय ऐसे परिसर से है, जहाँ छोटे स्तर पर सभा, सामुदायिक उत्सव, विवाह इत्यादि का आयोजन किया जाता है

अन्य परिभाषाएँ संबद्ध अधिनियमों, दिल्ली मुख्य योजना, एकीकृत भवन उप विधियों आदि के अनुसार होंगी ।

3. बैंक्वेट हॉल के संचालन हेतु शर्ते

- i) दिल्ली मुख्य योजना 2021 के पैरा 5.1 के अनुसार बैंक्वेट हॉल की अनुमित औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में दी जाएगी, जिनमें मिश्रित उपयोग विनियम एवं 1962 से पूर्व दिल्ली मुख्य योजना—1962 के व्यावसायिक क्षेत्रों के अंतर्गत अधिसूचित व्यावसियक स्ट्रीट शामिल हैं । ग्राउंड कवरेज, तल क्षेत्रफल, अनुपात (एफ. ए. आर), ऊँचाई और तहखाने (बेसमेंट) से संबंधित विकास नियंत्रण मानदंड मुख्य योजना—2021 और उस परिसर के विशिष्ट भूमि उपयोग मानदंडों के अनुसार होंगे ।
- ii) इसके अतिरिक्त, बैंक्वेट हॉल के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा :-
- क) प्लॉट का न्यूनतम आकार—300 वर्ग मीटर । आगंतुकों की अधिकतम संख्या स्थान की अवस्थिति अर्थात् सड़क की चौड़ाई, पार्किंग आदि के आधार पर लाइसेंसदाता प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी ।
- ख) बैंक्वेट हॉल के रूप में उपयोग किए जाने वाले औद्योगिक प्लॉटों के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर मार्गाधिकार होगी ।
- ग) अधिसूचित व्यावसायिक स्ट्रीट में बैंक्वेट हॉल की अनुमित दिल्ली मुख्य योजना—2021 के पैरा 15.12 मिश्रित उपयोग विनियम के अनुसार अन्य शर्तों सिहत एफ एवं जी श्रेणी की कालोनियों में न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार वाली स्ट्रीट पर और अन्य श्रेणी की कालोनियों के लिए न्यूनतम 13.5 मीटर वाली स्ट्रीट पर दी जाएगी (दि.मु.यो.—2012 के पैरा 15.12 का अवलोकन करे।)

- घ) निर्धारित व्यावसायिक केन्द्रों में स्थित व्यावसायिक प्लॉटों के मामले में बैंक्वेट हॉल की अनुमित तभी दी जाएगी यदि यह 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से सीधे रूप से जुड़ा हुआ हो ।
- ड.) स्ट्रीट अथवा सार्वजनिक भूमि पर बैंक्वेट संबंधी कार्यकलापों अर्थात् शामियाना, जेनरेटर आदि के कारण किसी प्रकार के अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- च) बैंक्वेट हॉल प्लाटों में आगे के सैट बैक में चारदीवारी नहीं होगी, ताकि इसका प्रयोग पार्किंग उददेश्य के लिए किया जा सके ।
- छ) यह अनुमित दिल्ली मुख्य योजना—2021 में निर्धारित 'अन्य निबंधन एवं शर्तों' और संबद्ध संविधि / अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किन्हीं अन्य विशिष्ट निबन्धन एवं शर्तों के अधीन होगी ।
- ज) तहखाने (बेसमेंट) का निर्माण और उसका उपयोग दिल्ली मुख्य योजना—2021भवन उप विधि के प्रावधानों के अनुरूप होगा । (दि.मु.यो.—2021 के पैरा 8(5) का अवलोकन करें और मिश्रित उपयोग के मामले में दि.मु.यो. के पैरा 15.12.3 का अवलोकन करें ।)
  - झ) स्वामी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सफाई संबंधी सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और बैंक्वेट हॉल परिसर में जमा हुए कूड़ा—करकट के उचित निपटान की व्यवस्था करेगा, ताकि पड़ोसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा या कष्ट न हो ।
  - ञ) स्वामी को भवन उप विधि और दिल्ली विकास प्राधिकरण नागरिक एजेंसियों तथा रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के दिशा—निर्देशों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संबद्ध सुविधाओं की व्यवस्था और रख—रखाव को सुनिश्चित करना होगा ।
  - ट) ढांचागत सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सभी उपायों की जिस्मेदारी स्वामी की होगी ।
- ठ) समारोह के दौरान पार्किंग की व्यवस्था के लिए डी.सी.पी. (लाइसेंसिंग) से लाइसेंस प्राप्त करने और यातायात पुलिस से अनापत्ति प्राप्त करने की ज़िम्मेदारी स्वामी की होगी ।
- ड) यदि आवेदक बैंक्वेट हॉल के लिए विद्यमान औद्योगिक भवन में परिवर्द्धन / परिवर्तन करता है अथवा भवन का पुनर्निर्माण करता है, तो भवन उप विधि के अनुसार अनुमोदित भवन नक्शों की आवश्यकता होगी । ऐसे मामलों में दि.मु.यो.—2021 के अनुसार बैंक्वेट हॉल उपयोग परिसरों के लिए पार्किंग के मानदंड लागू होंगे । (दि.मु.यो.—2021 की तालिका 13.17(ख) का अवलोकन करें ।)
- ढ) व्यावसायिक स्ट्रीट पर नये बैंक्वेट हॉल की अनुमित के मामले में आवेदक को संबंधित सिटीजन ग्रुप (पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन) की सहमित प्राप्त करनी होगी ।
- ण) बैंक्वेट हॉल के लिए अनुमित केवल तभी प्रदान की जाएगी, जब लागू भवन उप विधि के अनुसार पुरूष एवं महिला दोनों के लिए शौचालयों की पर्याप्त संख्या की व्यवस्था कर दी गई हो । विद्यमान भवनों में अनुमित हेतु आवेदन करने से पहले स्वामी इन शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तन/परिवर्द्धन करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

#### 4. सक्षम प्राधिकारी

उपाध्यक्ष अथवा इस संबंध में उपाध्यक्ष द्वारा यथा नामित कोई अन्य अधिकारी/समिति प्राधिकरण के अधिसूचित विकास क्षेत्रों में अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम होगा । अन्य स्थानीय निकायों के मामले में, सक्षम प्राधिकारी वह होगा जो संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

#### 5. आवेदन

अनुमित हेतु आवेदन प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित रूप में, नामित किए गए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । इसके साथ यथा निर्धारित अवस्थिति नक्शा और ऐसे अन्य दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे (दि.न.नि.द्वारा अलग से तैयार किया गया साराश देखें) ।

# 6 पंजीकरण और प्रभारों का भुगतान

- i) उन परिसरों के संबंध में, जहाँ पर दि.मु.यो.—2021 के खंड 5.1 के अंतर्गत किसी बैंक्वेट हॉल की अनुमित औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र में संचालित करने के लिए दी जाती है, वहाँ पर मालिक / स्वामी द्वारा इस उद्देश्य हेतु यथा निर्धारित रूप में ऐसे उपयोग को संबंधित स्थानीय निकाय को घोषित करना आवश्यक होगा और वह केन्द्र सरकार के अनुमोदन से यथा अधिसूचित दरों पर पंजीकरण प्रभारों का एक मुश्त भुगतान करेगा।
- ii) अधिसूचित व्यावसायिक स्ट्रीट पर बैंक्वेट हॉल का नियंत्रण अधिसूचना का.आ. 2034 (ई) दिनांक 12.08.2008 के तहत उप पैरा 15.12.3 की शर्त (iv) के अनुसार किया जाएगा (राजपत्र की अधिसूचना का.आ.2034 (ई) दिनांक 12.8.2008 के तहत उप–पैरा 15.12.3 की शर्त (iv) का अवलोकन करें)।
- iii) बैंक्वेट हॉल के परिसर का उपयोग करने की अनुमित भारत सरकार द्वारा समय—समय पर अनुमोदित चालू दरों पर परिवर्तन प्रभार और पार्किंग प्रभारों सिहत आवश्यक शुल्क का भुगतान करने की शर्त पर दी जाएगी (दि.मु.यो.—2021 की अधिसूचना से पूर्व विद्यमान भवन के मामले में)।

## 7. अनुमति को अस्वीकृत / वापस करने की शर्त

इन विनियमों के अंतर्गत प्रदान की गई अनुमित अथवा पंजीकरण, जिन शर्तों के अंतर्गत अनुमित प्रदान की गई थी/पंजीकरण प्रदान किया गया था, उनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण अथवा संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा रदद अथवा निलंबित की जा सकती है/किया जा सकता है।

195/c

दंडात्मक कार्रवाई (पैनल ऐक्शन)

- उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में संबंधित स्थानीय निकाय/डीडीए अधिनियम के संबंधित प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, यदि आर.डब्ल्यू.ए. द्वारा किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की सूचना दी जाती स्थानीय निकाय/डीडीए के ध्यान में आता है और संबंधित स्थानीय निकाय / डीडीए द्वारा सत्यापन करने पर सही पाया जाता है, तो संबंधित स्थानीय निकाय / डीडीए द्वारा इस तरह की शिकायतें प्राप्त करने के 15 दिनों के अंदर इन परिसरों को सील कर दिया जाएगा । इन परिसरों को उपर्युक्त उल्लंघन में सुधार के बाद ही सील हटाने / इनमें कार्य करने की अनुमति दी जाएगी ।
- संबंधित अधिनियम के अंतर्गत अन्य दंडात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त, इस अधिसूचना (ii) की शर्तों के उल्लंघन में अथवा बिना पंजीकरण के मिश्रित उपयोग के अंतर्गत पायी जाने वाली संपत्तियों को मिश्रित उपयोग के कारण वार्षिक परिवर्तन प्रभार की 10 गुणा राशि जुर्माने के रूप में स्थानीय निकाय को अंदा करनी होगी ।
- अन्य शर्ते (9)
- इन विनियमों को दि.मु.यो. 2021 एवं भवन उप-नियमों के साथ पढ़ा जाए और (i) विवाद के मामले में, दि.मू.यो.-2021 के प्रावधान मान्य होंगे ।
- संबंधित स्थानीय निकाय अनुमोदित विनियम के अनुसार आवेदन पत्र का अपेक्षित (ii) प्रारूप, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची, शुल्क / प्रभार, आवेदन प्रक्रिया में पालन किए जाने वाले चरण एवं प्रक्रिया, अन्य विभागों इत्यादि की भूमिका के बारे में बताते हुए ''रेडी रेकनर'' के रूप में एक सरल उपयोगकर्ता-अनुकूल मानक प्रचालन प्रक्रिया प्रकाशित करेगा । स्थानीय निकाय लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को अधिक से अधिक सरल बनाएगा ।

[फा. सं. एफ.3(39)2008/एम पी] डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

#### **DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st September, 2012

#### Subject: The (Permission of Banquet Halls) Regulations, 2010

S.O. 2272(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 57 of the Delhi Development Act, 1957, the Delhi Development Authority, with the previous approval of Central Government, hereby makes the (Permission of Banquet Halls) Regulations, 2010.

#### 1. Short Title and Commencement

- (i) These Regulations shall be called The (Permission of Banquet Halls) Regulations, 2010.
- (ii) These Regulations shall be applicable to Banquet Halls in National Capital Territory of Delhi, and shall come into force with effect from the date of notification.
- (iii) All words and expressions used in these Regulations but not defined shall have the meaning assigned to them in the Delhi Development Act, 1957 or the Master Plan prepared and approved under the said Act or the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as the case may be.
- (iv) If any question arises relating to the interpretation of these Regulations, it shall be referred to the Central Government whose decision thereon shall be final.

#### 2. Definitions

In these Regulations, unless, anything repugnant in the subject or context:

- (i) 'Act' means the Delhi Development Act, 1957 as amended from time to time,
- (ii) 'Authority' means the Delhi Development Authority constituted under Section 3 of the Act.
- (iii) 'C'hairman' means the Chairman of the Authority,
- (iv) 'Charges' means the charges payable for permitting the user of land and building for Banquet Hall.
- (v) 'Master Plan' means the Master Plan for Delhi for the time heing in force as prepared and approved under the Act.
- (vi) 'Owner' means the owner/allottee/ of the premises.
- (vii) 'Vice-Chairman' means, the Vice-Chairman of the Authority.
- (viii) 'Banquet Hall' means the premise to hold small public gatherings, community functions, marriages etc.

Other definitions shall be in accordance with the relevant Acts, Delhi Master Plan, Unified Building Bye-Laws, etc.

#### 3. Conditions for Operation of Banquet Hall

- (i) Banquet Hall shall be permissible in industrial and commercial areas including notified commercial streets under Mixed Use Regulations and pre 1962/MPD 1962 commercial areas as per para 5.1 of MPD, 2011. Development control norms in respect of ground coverage, FAR, height and basement shall be as per Master Plan, 2021 norms corresponding to the specified land use for that premise.
- (ii) In addition a Banquet Hall shall comply with the following conditions:
  - (a) Minimum Plot Size-300 sq.m. The maximum number of guests be fixed by Licensing Authority depending on locational considerations e.g. road width, parking etc.
  - (b) For Industrial plats to be used as Banquet Hall, the minimum road width shall be 12m ROW.
  - (c) In notified Commercial streets the Banquet Hall shall be allowed on minimum 9 mtrs. ROW in F and G category Colonies and minimum 13.5 mts. for other category of colonies with other conditions as per para 15.12 of MPD-2021 Mixed Use Regulations. (Refer para 15.12 of MPD-2021)
  - (d) In case of commercial plots in designated commercial centers, the Banquet Hall shall he allowed if it shall be directly abutting 18 mtrs. ROW.
  - (e) No encroachment of any kind shall be allowed on the streets or public land due to banqueting activities i.e. Shamiana, Generator etc.

- (f) In Banquet Hall plots, front setback shall not have boundary to facilitate it to be used for parking purpose.
- (g) The permission shall be subject to 'Other Terms & Conditions' prescribed in the MPD-2021 and any other specific Terms & Conditions as may be prescribed under relevant Statutes/Act.
- (h) The construction of basement and its use shall conform to the provisions of the MPD-2021/Building Bye-Laws. [Refer para 8(5) of MPD-2021 and in case of mixed use refer para 15.12.3 of MPD-2021]
- (i) It shall be the responsibility of the Owner to ensure adequate provision for sanitation facilities and for hygienic disposal of the waste generated in the Banquet Hall complex, so that no inconvenience or hardship is caused to the neighbourhood on any account.
- (j) The Owner shall ensure provision and maintenance of allied facilities, as per the Building Bye-Laws and the Guidelines, Rules and Regulations of the DDA, Civic Agencies and the GNCTD.
- (k) All the measures required for ensuring structural, fire safety shall be the responsibility of the Owner.
- (l) License from DCP (Licensing), provision of parking during the events and clearance from Traffic Police, shall be the responsibility of the Owner.
- (m) In the applicant makes addition/alteration to the existing industrial building or reconstructs the building for banquet hall the approved building plans as per Building Bye-Laws shall be necessary. In such cases, the norms of parking for Banquet Hall use premises as per MPD-2021 shall be applicable. [Refer table 13.17 (b) of MPD-2021]
- (n) In case of permission for new banquet hall on commercial streets, the consent of the concerned Citizen Group (RWA representating the whole Area) to be obtained by the applicant.
- (o) The permission for Banquet hall shall be granted only after appropriate no. of toilets, both male and female have been provided as per the applicable Building Bye-Laws. In the existing buildings, the owner shall be responsible for making alterations/additions to ensure construction of these toilets before he applies for permission.

#### 4. COMPETENT AUTHORITY

The Vice Chairman or any other officer/Committee as nominated by the Vice Chairman in this regard shall he Competent Authority for grant of permission in notified development areas of the Authority. In case of other local bodies, Competent Authority, would be as notified by the concerned local body.

#### 5. APPLICATION

Application for the permission shall be submitted to the designated Competent Authority in such form as may be prescribed by the Authority, along with the location plan and such other documents as may be prescribed. [Refer compendium separately prepared by MCD]

#### 6. REGISTRATION AND PAYMENT OF CHARGES

- (i) In respect of premises where a Banquet Hall is permitted to be operated under Clause 5.1 of MPD-2021 in Industrial and Commercial Area, the owner shall be required to declare such use by submitting such form as may he prescribed for this purpose with the local body concerned and shall pay one time registration charges at the rates to be notified with the approval of the Central Government.
- (ii) The Banquet Hall on notified commercial street shall be governed as per condition (iv) to sub-para 15.12.3 vide notification S.O. 2034(E) dated 12-8-2008. [Refer condition (iv) to sub-para 15.12.3 vide Gazette notification S.O. 2034(E) dated 12-8-2008]
- (iii) Permission for using the premises for Banquet Hall shall be subject to the payment of necessary fee along with the conversion charges and deficient parking charges (in case of existing building prior to notification of MPD-2021) on the prevailing rates as approved by the Government from time to time.

#### 7. CONDITION FOR DENIAL/WITHDRAWAL OF PERMISSION

Permission of registration granted under these Regulations can be cancelled or suspended by the Authority or the concerned local body in case of violation of any of the conditions under which such permissions/registration was granted.

#### 8. PENAL ACTION

(i) In case of violation of the above said provisions, action shall be taken under the relevant provisions of the Act of concerned local body/DDA. If the violation of any of the provisions is reported by RWA or noticed by the local body/DDA and found correct on verification by the concerned local body/DDA, then the premises shall be sealed by the concerned local body/DDA within 15 days of the receipt of such complaints. The

8

premises may be desealed/permitted to function only after the said violation(s) is(are) rectified.

(ii) In addition to other penal actions available under the relevant Act, properties found to be under mixed use, without registration or in violation of the terms of this notification shall be liable to pay to the local body, a penalty amounting to 10 times the annual conversion charges for mixed use.

#### 9. OTHER CONDITIONS

- (i) These Regulations are to be read in concurrence with the MPD-2021 and Building Bye-Laws and in case of conflict the provisions of MPD-2021 shall prevail.
- (ii) The concerned Local Body shall publish a simplified user friendly Standard Operating Procedure in the form of a "Ready-reckoner" explaining the requisite format of application, list of documents to be submitted, fee/charges, steps and procedure to be followed in processing the application, role of other departments etc. as per the approved Regulation. The local body to consider simplifying the procedure in grant of license to the extent possible.

[No. F. 3(39)2008/MP]

D. SARKAR, Commr.-cum-Secy.

REGD. NO. D. L.-33004/99

# Maria VIIII The The Gazette of India

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2117]

No. 2117]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 26, 2012/कार्तिक 4, 1934 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 2012/KARTIKA 4, 1934

#### शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली डिवीजन)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26,अक्तूबर, 2012

का.आ. 2555(अ):—जबिक, केंद्र सरकार का मोटलों के संबंध में दिल्ली मुख्य योजना में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव था, जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक सूचना सं. का.आ. 1317(अ) दिनांक 11 जून, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा—11 क की उप धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित उक्त सूचना की तिथि से 30 दिनों के अंदर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. जबिक, केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मुख्य योजना—2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।
- 3. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा—11 क की उप धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त दिल्ली मुख्य योजना—2021 में भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करती है—

1 2

3

# संशोधनः–

क्र सं.	पैरा / खण्ड / तालिका	मोटल के संबंध में दि.मु.यो2021 में प्रस्तावित संशोधन					
1,	2	3					
1	<b>पैरा 3.2</b> शहरी विस्तार	पैरा, 'ग्रामीण भूमि पर निरंतर दबाव को ध्यान में रखते हुए नए फार्म हाउसों उ मोटलों को दि.मु.यो.—2021 के अनुसार प्रस्तावित शहरी विस्तार क्षेत्र में अनुमित न दी जाएगी' के अंत में आने वाले शब्दों के बाद निम्निलखित को जोड़ा जाएगा : 'दिनांक 7.2.2007 को संस्वीकृत नक्शों वाले मोटल अथवा जिनका मोटल का प्रस्त् स्वीकार किया गया और जो व्यावसायिक क्षेत्रों अथवा क्षेत्रीय विकास योजनाओं उ अन्य उपयोग जोनों के प्रस्तावित सुविधा कॉरिडोर में स्थित हैं, उन्हें तालिका 5.4 उ अध्याय 17.0 के खंड में वर्णित विकास नियंत्रण की शर्तों के अध्यधीन अनुमित जाएगी '।					त्र में अनुमित नहीं इा जाएगा : मोटल का प्रस्ताव ास योजनाओं और तालिका 5.4 और ध्यधीन अनुमित दी
2.	तालिका 5.4 विकास नियंत्रण —व्यावसायिक केंद्र	तालिका 5.4 में 'ड.) निम्नलिखित उपयोग /				,	मोटल' के रूप में
		उपयोग / उपयोग परिसर	अधिकतम कवरेज (%)	<b>ए</b> फ आर	ए ऊँचा (मीटर		क्षेत्रफल नियंत्रण 00 वर्ग
		च) मोटल (दिनांक 7.2.2007 को संस्वीकृत योजना वाले मोटल अथवा ऐसे मोटल जिनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और जो यावसायिक क्षेत्रों अथवा प्रस्तावित सुविधा क्षेत्रीय विकास योजनाओं एवं अन्य उपयोग जोनों में स्थित हैं )	40	175*	एन आर	तल क्षेत्रफल के प्रति 100 वर्ग मीटर में 3.00 ई सी एस (दि.मु.यो.—2021 के विकास कोड अध्याय के अनुसार)। सभी अतिथि वाहनों को मोटल परिसरों के अंदर ही खड़ा करने की व्यवस्था की	अधिसूचना सांविधिक आदे 550(ड) दिनां 16.6.1995 ए शहरी विका मंत्रालय, भार सरकार द्वारा दिनां 4.3.2002 को जा किए गए मोट दिशा निर्देशों अनुरूप दिनांक 7.

उपलब्ध

वाली एजेंसियों द्वारा सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं करा दिया जाता । मोटल स्वामी को पर्याप्त मार्गाधिकार वाले सम्पर्क मार्ग की व्यवस्था सहित संबंधित एजेंसियों द्वारा मांगे जाने पर बाह्य विकास प्रभारों का भुगतान करना होगा। -

कराने

1	2 '			3			To. 8
7( )**						· ·	v. सभी मोटलें को शहरी विकार
					2		मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा जारी
							अधिसूचना और भवन उप–नियमे
							के अंतर्गत निर्दिष्ट वर्षा–जल संचयन
			- 4				और ऊर्जा संरक्षण
			-50				संबंधी प्रावधानों क पालन करन
					•		चाहिए।
			8		***		vi मोटलों म कूड़ा करकट व
					y,		निपटान के जिम्मेदारी मोटल
							स्वामी की होर्ग और मोटलों की
			1				ओर से प्रदूष शून्य होना चाहिए।
					-		vii. मोटलों
			ž		E <sub>10</sub> .		कूडा–करंकट व निपटान हेतु अर्था
							ठोस कूड़ा-करक को वानस्पतिक ए
			NE				गैर—वानस्पतिक रूप में अलग कर
			*		A**		के लिए आधुनिव तकनीकों व
			-		*		अपनाना होगा प्रदूषण नियंत्र
			a e				मानकों की शर्तो व अनुसार वानस्पतिव
		Χ.					कचरा स्थानी कम्पोस्ट-पिटो
			1 2 5		- 1 - 2 - 1		जमा करना चाहिए और
	195	1	١	-	y.		गैर-वानस्पातिक कचरे को मोटर
			* =	-			द्वारा रखे ग भरमकों में भरम क्
ж	8 8 8 8		-				देना चाहिए इमारतों में दोहर
, -		A 6	5 3	51 X			पाइप लाइन प्रणाल होगी। सीवेज व

2	N	3	
	*		शोधन के लि परिसर के भीत छोटा जल-मत शोधन संयंत्र बनाय
			जाएगा तथा दोहर पाईप प्रणाली द्वार शोधित जल व पीने के अतिरिक अन्य उपयोगों व
			लिए इस्तेमा किया जाएगा viii संशोधि
			भवन नक्शें, भव उप—नियमों अंतर्गत स्वीकृति स्थानीय निका
			अर्थात दिल्ली नग निगम/दि.वि.प्रा., जैसा भी मामला ह को प्रस्तुत कि जाए ।

- नोट:— \* अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात प्रभार, परिवर्तन प्रभार, सुधार शुल्क (बैटरमेंट लेवी)/बाह्य विकास प्रभार इत्यादि सुरकार द्वारा समय—समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार देय होंगे ।
  - भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अग्निशमन विभाग से अनापत्ति मिलने के अध्यधीन कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।

3.	उपयोग क्षेत्रों में	ताति पाठ	ाका 9.4 में शामिल कि	क्रम संख्या—1 'हरित पट्टी में 'अनुमत कार्यकलाप' कॉलम में निम्नलिखित या जाता है:—
	उपयोग परिसरों की अनुमति	क्र. सं	उपयोग क्षेत्र	अनुमत कार्यकलाप
*		1.	हरित पट्टी	वन, कृषि उपयोग, वनस्पति पट्टी, डेयरी फार्म, सूअर पालन, मुर्गी पालन केन्द्र, फार्म हाउस, वन्य जीव विहार, पक्षी विहार, जैव वैविध्य पार्क, पशु चिकित्सा केंद्र, पुलिस पोस्ट, अग्निशमन पोस्ट, स्मृतिवन, पौध नर्सरी, फलवाटिका, जल संचयन क्षेत्र, पुष्पकृषि फार्म, खेल के खुले मैदान, कृषि वानिकी, सुख—सुविधा संरचनाएं (सूची टिप्पणी में द्वी गई है) । मौजूदा गांव आबादी, पहले ही नियमित अनिधकृत कॉलोनियाँ और पहले ही अनुमोदित मोटल तालिका 5.4 और अध्याय 17.0 के खंड में उल्लिखित विकास नियंत्रण शर्तों के अध्यधीन जारी रह सकते हैं ।

4059-45/12-2

1	2	3
4.	उप खंड 8(2) के अंतर्गत टिप्पणियाँ	निम्नलिखित को उप खंड 8(2) के अंतर्गत नोट (vi) के रूप में जोड़ा जाता है:-
		(vi) दिनांक 07.02.2007 को अनुमोदित प्लान वाले मोटल अथवा जिनका मोटल का प्रस्ताव भेजा गया है और जो क्षेत्रीय विकास योजनाओं और अन्य विकास क्षेत्रों में व्यावसायिक क्षेत्रों अथवा प्रस्तावित सुविधा कोरिडॉर में स्थित है (जो दि.मु.यो.—2021 के अंतर्गत
		अधिसूचित क्षेत्रीय योजनाओं की शहरी विकास मंत्रालय की दिनांक 16.06.1995 की अधिसूचना के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, जिनका 07.02.2007 से पहले ग्रामीण उपयोग जोन/हरित पट्टी उपयोग था) को तालिका 5.4 में उल्लिखित विकास नियंत्रण शर्तों के अध्यधीन अनुमति दी जाएगी ।

[ संख्या के-20013 / 10 / 2007 - डीडी - I (डीडी I बी) (खण्ड II)] जय प्रकाश अग्रवाल, निदेशक (दिल्ली प्रभाग)

#### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th October, 2012

- S.O. 2555(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O.1317(E) dated 11th June, 2012 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master-Plan for Delhi, 2021.
- 3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

#### **Modifications:**

Following modifications in the MPD-2021 with respect to Motels:

Sl. No.	Para/Clause/Table	Proposed Modifications to the MPD-2021 with respect to Motel
1	2	3
1.	Para 3.2 Urban Extensions	After the words occurring at the end of the para "Considering the constant pressure on the rural land, new farmhouses and motels shall not be permitted in the proposed Urban Extension as per MPD-2021" the following shall be added:
		"Motels with sanctioned plans as on 07-02-2007 or whose proposal of Motel has been acceded to and located in Commercial Areas or Proposed Facility Corridor in Zonal Development Plans and other use Zones, shall be permissible subject to Development Control conditions mentioned in Table 5.4 and clause in Chapter 17.0."

100					साधारण				
1	2	3							
2.	Table 5.4: Development Controls—Commercial Centres	Following Use/Use premises to be inserted after "(e) Any Other Commercial Centre" as "(f) Motels", in Table 5.4:							
marks as to 1		Use/use premises	Maximum Coverage (%)	FAR	Height (mts)	Parking Standards ECS/100 Sqm. of Floor area	Other Controls		
		1	2	3	4	5	6		
		(f) Motels (with Sanctioned plans as on 7-2-2007 or whose proposal of Motel has been acceded to, which are in Commercial Areas or proposed Facility Corridor in Zonal Development Plans and Other Use Zones)	40	175^	NR*	3.0 ECS per 100 sq. metres of floor area (as per Development Code Chapter of MPD-2021). All guest parking must be catered to within the motel premises	(i) Maximum 175 FAR a applicable to plot area one hectare shall be permissible on the plot area disclosed in the sanctioned plan as o 07-02-2007 in conformit with Government of Indi		

6

- (v) All motels should follow rainwater harvesting and energy conservation provision laid down under Notification and Building Bye-Laws issued by MoUD/GOI.
- (vi) Disposal of waste in motels will be responsibility of the motel owner and net pollution discharge from the motels should be zero.
- (vii) Modern techniques shall have to be adopted in disposal of waste in motels viz. segregation of solid waste compostable and noncompostable. Compostable waste should be deposited in localized compost pits; noncompostable should be incinerated in incinerators maintained by the motel, subject to pollution control norms. building shall have dual piping system. Mini sewage treatment plant shall be constructed within premises for treatment of sewage and utilizing the treated water for purposes other than drinking, with dual piping system.

(viii) Revised building plans will be submitted to the local bodies i.e. MCD/DDA as the case may be for sanction under building bye laws.

<sup>^</sup>Note—Additional FAR Charges, Conversion Charges, Betterment levy/External Development Charges etc. shall be payable as decided by the Government from time to time

<sup>\*</sup>No restriction subject to clearance from Airport Authority of India and Fire Department of GNCTD.

1	2			3
3.	Table 9.4 Permission of Use Premises in Sub Use Zone	Following Table 9.4		he 'Activities Permitted' column at S.No. 1-Green Belt in
		S. No.	Use Zone	Activities Permitted
4 9		1.	Green Belt	Forest, Agriculture use, Vegetation belt, Dairy Farms, Piggery, Poultry farms, Farm house, Wild life sanctuary, Bird sanctuary, Biodiversity Park Veterinary Centre, Police Post, Fire Post, Smriti Van, Plant Nursery, Orchard, Area for water-harvesting, Floriculture farm, Open Playground, Agro forestry, Amenity structures (List given in note).  Existing village Abadis, already Regularised Unauthorised colonies and already approved Motels may continue subject to development control
		181		conditions mentioned in Table 5.4 and Clause in Chapter 17.0.
4.	Notes under Sub-Clause 8	3(2)		Following is added as Note (vi) under Sub-Clause 8(2):  (vi) Motels with approved plans as on 7-2-2007 or whose proposal of Motel has been acceded to and located in Commercial Areas or proposed facility
				corridor in Zonal Development Plans and Other Use Zones (which have been established under MoUD Notification dated 16-06-1995 of the notified Zonal Plans under MPD-2021 which were having Rural Use Zone/Green Belt prior to 07-02-2007) shall be permissible subject to development control conditions mentioned in Table 5.4.

[No. K-20013/10/2007-DD-I(DDIB)(Vol. II)]

J.P. AGRAWAL, Director (Delhi Division)